रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082026-275296
CG-DL-E-08082026-275296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4215] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948
No. 4215] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4393(अ).— पहचान के लिए आधार नंबर का उपयोग लोगों को आसानी से और बिना किसी रुकावट के सहायता, लाभ और सेवाएं पाने में मदद करता है, पहचान साबित करने के लिए कई तरह के दस्तावेज़ों की ज़रूरत को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को आसान बनाता है और पारदर्शिता व कार्यक्षमता को बढ़ावा देता है;

और, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात सरकार कहा गया है) का ग्रामीण विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मंत्रालय कहा गया है), विकसित भारत — रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 36) के अधीन विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) स्कीम (जिसे इसके बाद उक्त स्कीम कहा गया है) का संचालन कर रहा है;

और, समृद्ध और सुदृढ़ ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को बढ़ावा देने तथा उससे जुड़े या उसके जुड़े हुए मामलों के लिए, उक्त स्कीम और उसके संबंध में जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अधीन, प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक हैं, (जिन्हें इसके बाद लाभार्थी कहा गया है) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों के मजदूरी रोज़गार की विधिक गारंटी (जिसे इसके बाद उक्त लाभ कहा गया है) दी गई है;

और, उक्त स्कीम के लिए व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

और, ग्रामीण विकास विभाग की यह वांछा है कि सरकार, उक्त लाभ प्राप्त करने की एक शर्त के रूप में किसी लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से, यह अपेक्षा करे कि ऐसा लाभार्थी प्रमाणीकरण से गुज़रे, या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करे अथवा ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कोई आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, नामांकन के लिए आवेदन करे;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, सुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. *(1)* उक्त स्कीम के अधीन उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए वीबी–जी राम जी (विकसित भारत – जी राम जी) स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकरण चाहने वाले किसी व्यक्ति के लिए प्रमाणीकरण से गुज़रना या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(2) उक्त स्कीम के अधीन पंजीकृत या पंजीकरण चाहने वाले ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, उसके लिए नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित ऐसा विभाग, उपयुक्त उपायों के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा जिनका अभी नामांकन होना बाकी है, या उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा, जिसमें पंजीयकों के साथ समन्वय करना और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्र स्थापित करना या स्वयं पंजीयक बनकर नामांकन सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है:

परंतु यह कि जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या आवंटित नहीं हो जाती, तब तक वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करके साबित कर सकता है, जिनका वह हकदार है और जो प्रस्तुतीकरण के समय वैध हों; अथवा, यदि ग्रामीण विकास विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस प्रकार की पहचान के लिए प्रदान किया गया या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर ऐसे दस्तावेज़ों को तैयार करने या उनके रखरखाव करने वाले प्राधिकारियों के डेटाबेस से उनकी अंतर्वस्तु के साक्ष्य संबंधी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने में सहायता करता है, तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर पहचान साबित कर सकता है, अर्थात्:-

अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लाभार्थियों के लिए जिन्हें आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है:

(क) नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई लाभार्थी के नामांकन की प्रक्रिया से गुज़रने की पावती, जिसमें नामांकन पहचान संख्या (ईआईडी) शामिल हो; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज़, जिसमें लाभार्थी की फोटो हो, अर्थात्:-

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) किसी राजपत्रित अधिकारी जो कि राजपत्रित अधिकारी जो एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, तहसीलदार के पद से नीचे का न हो द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र;

(iv) किसी सरकारी संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सेवानिवृत्त अथवा सेवारत लोक सेवक अथवा उसके परिवार के सदस्य को जारी चिकित्सा अथवा बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक अथवा 10वीं कक्षा अथवा उच्चतर माध्यमिक अथवा 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका;

(vii) किसी सरकारी संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सेवारत अथवा सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी पहचान पत्र अथवा अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अथवा भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) पत्र;

(ix) भारत में जारी चालक अनुज्ञप्ति;

(x) कोई अन्य दस्तावेज जिसे ग्रामीण विकास विभाग अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित ऐसा विभाग निर्दिष्ट करे:

(4) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामित अथवा इस संबंध में राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित विभाग का कोई अधिकारी, खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों अथवा उसमें निहित सामग्री को प्रमाणित करने वाली सूचना के संबंध में निम्नलिखित की जांच करेगा,

(क) मेरा आधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) पर नामांकन पहचान संख्या (ईआईडी) दर्ज करके नामांकन अनुरोध की स्थिति (स्टेटस) की जांच करना, जिससे यह पुष्टि की जा सके कि नामांकन पहचान संख्या (ईआईडी) वैध है और नामांकन अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया गया है; और

(ख) अन्य दस्तावेजों की जांच करना, और इस प्रयोजन के लिए, वह किसी भी सरकारी संस्था अथवा ऐसे दस्तावेजों में शामिल जानकारी को तैयार करने अथवा उसका रखरखाव करने वाले प्राधिकरण की सहायता ले सकता है और उसके साथ प्रस्तुत जानकारी साझा कर सकता है।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभ आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा कि मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो ताकि लाभार्थियों को उक्त स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. जहां किसी लाभार्थी के आधार संख्या का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण के किसी भी माध्यम (अर्थात चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान अथवा आंख की पुतली के स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) से खराब बायोमेट्रिक जानकारी अथवा किसी अन्य कारण से विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात:—

(क) यदि कोई विशिष्ट बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण माध्यम सफल नहीं होता है, तो जहां भी व्यावहारिक और स्वीकार्य हो, कोई अन्य बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण माध्यम अथवा वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प प्रदान किया जाएगा;

(ख) ऐसे मामलों में जहां बायोमेट्रिक-आधारित अथवा ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण माध्यम संभव नहीं हैं, वहां आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के बाद उक्त स्कीम के अधीन लाभ दिए जा सकते हैं। इसके लिए आधार सिक्योर क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड अथवा आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज, जो भी स्थिति हो, पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का ऑफलाइन सत्यापन करके निम्नलिखित में से किसी के आधार पर लाभ दिया जा सकता है:

(i) एक आधार सिक्योर क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात आधार संख्या धारक को उसकी आधार संख्या जनरेट होने पर जारी किया गया पत्र) अथवा ई-आधार (अर्थात आधार पत्र की पासवर्ड-सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा इसके एम-आधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है) शामिल हो; आधार क्यूआर स्कैनर अथवा एम-आधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित की गई हो।

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा इसके एम-आधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है); भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग अथवा योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का ऑफलाइन सत्यापन करके इसकी वास्तविकता स्थापित की गई हो।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अट्ठारह वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के *वास्तविक* लाभार्थी उक्त स्कीम के अधीन मिलने वाले लाभ से वंचित न हों, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मिशन के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा (जो https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध है)।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होगी।

[फा. सं. जे-11060/18/2026/आरई-VI]

रोहिणी रा. भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4393(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Ministry of Rural Development (hereinafter referred to as the said Ministry) in the Government of India (hereinafter referred to as the Government) is administering the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Scheme (hereinafter referred to as the said Scheme) under the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025 (Act No. 36 of 2025);

And whereas, *a statutory guarantee of one hundred and twenty-five days of wage employment in every financial year* (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the *every rural household whose adult members volunteer to undertake unskilled manual work, to promote empowerment, growth, convergence and saturation for a prosperous and resilient rural Bharat and for matters connected therewith or incidental thereto* (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof;

And whereas, expenditure for the said Scheme is incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, the Department of Rural Development is desirous that the Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, requires that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016, (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: -

1. *(1)* An individual registered or seeking registration under the VB–G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) Scheme for availing of the said benefit under the said Scheme shall be required to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case such an individual registered or seeking registration under the said scheme who has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Rural Development or such department designated by the State Government or Union territory Administration shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centers at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorized by the said Department of Rural Development or such department designated by the State Government or Union territory Administration for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:-

For beneficiaries aged eighteen years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment Identification Number (EID); and

(b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely: -

(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;

(ii) ration card;

(iii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;

(iv) medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(v) Indian passport;

(vi) certificate or statement of marks of matriculation or 10^{th} class or Higher Secondary or 12^{th} class, issued by a recognised Board of school education;

(vii) identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;

(viii) disability certificate issued by notified medical authority under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Government of India;

(ix) driving license issued in India;

(x) any other document as the Department of Rural Development or such department designated by the State Government or Union territory Administration may specify:

(4) An officer designated by the Department of Rural Development or such department designated by the State Government or Union territory Administration in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),

(a) the status of the enrolment request by submitting the Enrolment Identification Number (EID), on my Aadhaar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the Enrolment Identification Number (EID), is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely,facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) in cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of the Unique Identification Authority of India on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:

(i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (i.e., the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (i.e., the password- protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of the Unique Identification Authority of India or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of the Unique Identification Authority of India or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of the Unique Identification Authority of India.

4. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged eighteen years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Department of Rural Development shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no, D-26011/04/2017-DBT, dated the 19" December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).

5. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazettee.

[F. No. J-11060/18/2026/RE-VI]

ROHINI R. BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.08 12:56:34 +05'30'